काले धन की मात्रा

1503. श्री नागमणि: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हमारे देश में काले धन की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो सी॰बी॰डी॰टी॰, भारतीय रिज़र्व बैंक और प्रवर्तन निदेशालय के बीच सहयोग और समन्वय की प्रकृति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने काला धन मौजूद होने के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार काले धन पर अंकुश लगाने और काले धन को विभिन्न तरीकों से सफेद धन में बदलने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) केन्द्र सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान ने भारतीय अर्थ व्यवस्था में उत्पन्न हुए काले धन का अनुमान लगाने के बारे में एक अध्ययन किया। उक्त अध्ययन "भारत में काले धन के पहलू" (आस्पेक्टस आफ ब्लैक मनी इन इंडिया) शीर्षक के अंतर्गत मार्च, 1985 में प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन में वर्ष 1983-84 में काले धन का अनुमान 31584 करोड़ रु॰ से 36786 करोड़ रु॰ के बीच लगाया गया था। उक्त अनुमान अनेक कल्पनाओं और पूर्वानुमानों पर आधारित था। उसके बाद इस संबंध में कोई भी प्रामाणिक अध्ययन किया हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) विभिन्न प्रवर्त्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की नियमित आधार पर बैठकें होती हैं और वह पारस्परिक हित के मामलों पर सूचना का आदान प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) अर्थव्यवस्था में काले धन की उत्पत्ति से संबंधित कारणों की जड़ें बहुत गहरी हैं। उपर्युक्त रिपोर्ट में पता किए गए कारणों में अन्य के साथ-साथ कुछ कारण यह हैं—कराधान संरचना, आर्थिक नियंत्रणों की जटिलता, सरकारी व्यय में वृद्धि, मुद्रास्फीति और कर अपवंचन के विरुद्ध कमजोर निवारक उपाय। उपर्युक्त कारण केवल अकेले ही नहीं बल्कि सम्मिलित रूप में कार्य करते हैं।

(ङ) सरकार, काले धन की रोकथाम करने और काले धन को बैंक धन में परिवर्तित करने के विभिन्न तरीकों को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक विधायी, आर्थिक और प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। कराधान की दर में उत्तरोत्तर कमी की गई है तथा कर कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है। इसी प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक उपबंध निहित हैं, जिनका उद्देश्य उक्त समानान्तर अर्थ व्यवस्था में कमी लाना है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44-क क और 44-क ख के अन्तर्गत उचित मामलों में लेखों का अनिवार्य रूप से रख-रखाव और उनकी लेखा परीक्षा, धारा 40-क(3), 269 ध ध और 269-न के अन्तर्गत नकद लेन-देनों पर प्रतिबंध, अध्याय XX-ग के अन्तर्गत सम्पत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद से संबंधित उपबंध और कर चूककर्ताओं को दंडित करने के लिए अर्थ दंड और अभियोजन से संबंधित उपबंध शामिल है। अधिनियम में कर अपवचन का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, तलाशी और अन्य जांच संबंधी कार्यवाहियां करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। उचित मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए छोटे कारोबारी व्यक्तियों के लिए कराधान की आनुमानिक स्कीम, छोटे-छोटे ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों के मामले में अनुमानित आधार पर आय की संगणना करने का सरलीकृत तरीका, अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध रियायत को सरल बनाना और 1,20,000 रुपये से कम आय रखने वाले व्यक्तियों के लिए आयकर विवरणी फार्म लागू करना आदि जैसे अनेक नए उपाय किए गए हैं।

Outstanding dues of Atomic Power Corporation against SEBs.

1504. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether huge amount pertaining to Atomic Power Corporation is outstanding against a number of electricity boards;

(b) if so, what are the State-wise details thereof; and

(c) what steps are being taken by Government to recover this outstanding amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) A sum of Rs. 879.82 crores is due to the Nuclear Power Corporation of India Ltd.; from State Electricity Boards as on October 31, 1995, the details of which are given in the

Statement *(see below)*.

(c) Delayed payment charges at varying percentages from 10.5% to 24% are being levied for default in timely payment. The State Electricity Boards and the concerned State Governments are being pursued at various levels for prompt payment. Recovery is also being effected as a last resort by adjustment of Central Plan Assistance to the States concerned.

Statement

Outstanding dues of Nuclear Power Corporation against the SEBs as on 31st October, 1995

Sl. No.	Name of SEB/State Govt.	Amount (Rs. lakhs)
1.	Gujarat	11460
2.	Rajasthan	17597
3.	Tamil Nadu	521
4.	Kerala	771
5.	Andhra Pradesh	4568
6.	Karnataka	1486
7.	Uttar Pradesh	24893
8.	Delhi	5490
9.	Punjab	215
10.	Haryana	10653
11.	Jammu & Kashmir	1370
12.	Chandigarh	19
13.	Himachal Pradesh	16
14.	Maharashtra	1930
15.	Madhya Pradesh	6493
	Total	87982

Newsprint Quota Allotted to Newspapers

1505. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the language newspapers, including Urdu having simultaneous publication from different centres in the country;

(b) what is the circulation of such newspapers, paper-wise and the centre-wise;

(c) what is the News Print quota allotted to such Newspapers;

(d) what is the rate given by DAVP on advertisement issued per column centimeter to such papers on the basis of their combined circulation, paper-wise; and

(e) whether the Department has ensured that these newspapers are really published from such centres?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P. M. SAYEED): (a) The particulars of newspapers which are published simultaneously from different centres in the country are not maintained by the Office of the Registrar of Newspapers for India (RNI).

(b) Does not arise in view of reply to part (a) above.

(c) Consequent upon placing import of newsprint under O.G.L. with effect from 1.5.1995, newsprint is no longer allocated to newspapers by the Government.

(d) The practice of releasing advertisements on combined circulation rates has been done away with by the Government with effect from 1.4.95.

(e) Does not arise in view of reply to part (a) above.

Stoppage of power production in Badarpur Thermal Power Station

1506. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether BTPS has stopped production of power because of non-payment of dues by DESU;

(b) if so, the total dues of BTPS outstanding against DESU;

(c) whether the generation and supply of power in the capital have been affected due to non-payment of dues to BTPS by DESU; and

(d) if so, the alternative steps Government propose to take to meet the power requirement in the capital?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI